न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / रसद / 06 / 2020

आनन्द स्वरूप उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 14 व 15 करबा कामां जिला भरतपुर ।

......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर।

.......रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दि0 14.01.2020 प्रकरण संख्या 49 / 2019, वमुकदमा सरकार बनाम आनन्द स्वरूप अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम ।

निर्णय **दिनांक 06.01.2021**

अपीलाण्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 14.01.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त किये जाने एवं जमाशुदा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है।

पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक ने भी अपनी जांच में स्पष्ट लिखा है कि अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा राशन वितरण में कोई शिकायत नहीं की है। मुख्य दुकान व अटैच दुकान की पोस मशीनों पर राशन सामग्री का प्रदर्शित होना और उनका मौके पर उपलब्ध न पाया जाना गलत इन्द्राज था, जिनका रसद कार्यालय की गलती से पोस मशीनों में इन्द्राज हुआ था। पोस मशीनों में उक्त गलत इन्द्राज की बावत कई राशन डीलरों ने रसद कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत कर रखी है। अपीलान्ट द्वारा भी इसकी शिकायत की हुई है। डीलर की अटैच दुकान की पोस मशीन पर 111306 लीटर कैरोसिन का इन्द्राज भी गलत है, क्योंकि इतनी मात्रा में कैरोसिन किसी भी राशन डीलर को [illegible] होता है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि जिला रसद अधिकारी द्वारा कार्यालय से बिना रिकार्ड तलव किये और वास्तविक स्थित की जानकारी किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

में अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर डीलर के प्राधिकार पत्र को बहाल करने करने का निवेदन किया गया ।

पैरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि वक्त जांच पोस मशीन में चीनी व केरोसिन का उपलब्ध स्टॉक भौतिक सत्यापन पर मौजूद नहीं पाया गया। डीलर का यह कथन कि राशन सामग्री की गलत मात्रा पोस मशीनों में update हो गई थी, जो स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि इस कथन की पुष्टि में डीलर द्वारा केरोसिन तथा चीनी की प्राप्ति, वितरण व शेष मात्रा का कोई हिसाब न तो वक्त जांच पेश किया और न अपने जबाव के साथ ही प्रस्तुत किया गया। डीलर द्वारा वैकल्पिक वितरण व्यवस्था का कार्य भी स्वयं की मूल दुकान से ही सम्पादित किया जा रहा था, जो कि आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। तहत पत्रावली में संलग्न प्रवर्तन निरीक्षक की जांच से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि डीलर के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की राशन वितरण से सम्बन्धित कोई शिकायत नहीं पाई गई। पोस मशीनों में चीनी व केरोसिन की उपलब्ध मात्रा इतनी अधिक है, कि वह स्वयं ही डीलर के कथन की पुष्टि करती है। पोस मशीन पर प्रदर्शित 111306 लीटर कैरोसिन का इन्द्राज पूर्ण रूप से गलत प्रमाणित होता है, क्योंकि इतनी मात्रा में कैरोसिन का आवंटन एक राशन डीलर को नहीं हो सकता। अपीलान्ट कस्बे का राशन डीलर है। नजदीकी वार्ड की वैकल्पिक वितरण व्यवस्था उसे अन्य दुकान नहीं मिलने के कारण अपनी मूल प्राधिकृत दुकान से वितरण किया था, उसके द्वारा किसी गैर प्राधिकृत स्थान से वितरण नहीं किया गया है। डीलर द्वारा राशन सामग्री का कोई दुरूपयोग व गबन किया जाना भी नहीं पाया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा राशन सामग्री के आवंटन/वितरण सम्बन्धी रिकार्ड की बिना जांच व वास्तविक तथ्यों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो कानूनन उचित प्रतीत नहीं होता। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.01.2020 अपास्त किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। डीलर की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दि0 06.01.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:53 IST
Reason: SelfAttested

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर